प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

B.Com (H)
P2 – A/cs (H)
Paper – III. BRF

UNIT – II

UNDPAID SELLER AND HIS RIGHTS

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 45 (1) के अनुसार – " माल का विक्रेता", अदत्त विक्रेता तब माना जाता है जब —

(i) उसे विक्रय किये गये माल का पूरा मूल्य न चुकाया गया है या सम्पूर्ण मूल्य चुकाने का प्रस्ताव न रखा गया है, अथवा

(ii) जब उसे मूल्य के भुगतान में कोई विनिमय पत्र (Bills of Exchange) या अन्य विनिमय साध्य विलेख दिया गया है, और उसका अनादरण हो गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अदत्त विक्रेता वह विक्रेता है जिसको अपने माल के मूल्य का भुगतान किसी भी रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। अत: एक अदत्त विक्रेता में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए —

(i) माल नकद बेचा हो, उधार नहीं

(ii) बेचे गये माल के मूल्य का उसे भुगतान न मिला हो।

(iii) उसने भुगतान के प्रस्ताव किए जाने पर भुगतान लेने से इंकार न किया हो।

(iv) बेचे गये माल के प्रतिफल के रूप में कोई प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय बिल, चेक या हुण्डी दिया गया हो, लेकिन उसका अनादरण (Dishonor) हो गया है, तथा

(v) उसे बेचे गये माल के मूल्य के एक भाग का भुगतान प्राप्त हुआ हो।

Scanned with CamSc

RIGHTS OF AN UNPAID SELLER

अदत्त विक्रेता के अधिकारों को दो भागों में बाँटा गया है —

A. माल के विरुद्ध अधिकार तथा
B. क्रेता के विरुद्ध अधिकार।

A. माल के विरुद्ध अधिकार → Sec. 46(1) के अनुसार माल के स्वामित्व का अन्तरण क्रेता को हुये माल के पश्चात अदत्त विक्रेता को माल के विरुद्ध निम्न सिमित अधिकार प्राप्त होते हैं —

(i) माल पर ग्रहणाधिकार (Lien on Goods)
(ii) माल को मार्ग में रोकने का अधिकार (Rights of stoppage in Transit)
(iii) माल के पुनः विक्रय का अधिकार।

(i) ग्रहणाधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके अन्तर्गत वह माल को तबतक अपने कब्जे में रोक कर रख सकता है या उसकी सुपुर्दगी क्रेता को करने से इन्कार कर सकता है, जबतक उसे पूरे मूल्य का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

निम्न सिमित परिस्थितियों में एक अदत्त विक्रेता अपने ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है —

- (a) जब माल उधार न बेचा गया हो।
- (b) जब माल उधार बेचा गया हो, परन्तु उधार चुकाने की अवधि समाप्त हो गई हो।
- (c) जब क्रेता दिवालिया हो गया हो, भले ही उधार चुकाने की अवधि समाप्त न हुई हो।

(ii) मार्गस्थ माल को रोकने के अधिकार से तात्पर्य अदत्त विक्रेता के उस अधिकार से है जिसके अनुसार वह क्रेता तक पहुँचाने के प्रयोजन से वाहक को सौंपे गये माल के और आगे प्रेषण को रोक सकता है।

Scanned with CamScanner

जब माल को फिर से अपने कब्जे में ले सकता है। और मूल्य का भुगतान न होने तक माल को अपने कब्जे में रख सकता है। Sec. 50 के अनुसार- कोई अदत्त विक्रेता मार्गस्थ माल को रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं की पूर्ति होने पर ही कर सकता है —

- (a) जब क्रेता दिवालिया हो गया हो।
- (b) जब क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया गया हो।
- (c) जब माल प्रेषण के अनुक्रम में हो, अर्थात् क्रेता के अधिकार में नहीं आया हो।
- (d) माल एजेण्ट के अधिकार में नहीं पहुँचा हो।
- (e) जब विक्रेता को पूर्ण या आंशिक मूल्य न मिला हो।

(iii) माल के पुनः विक्रय का अधिकार अदत्त विक्रेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि अदत्त विक्रेता को यह अधिकार न मिला होता तो उसके अन्य अधिकार उसके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध न होते क्योंकि ये अधिकार तो उसे उस समय तक माल की सुपुर्दगी रोके रखने मात्र का हकदार बनाते हैं जब तक क्रेता द्वारा मूल्य का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

Sec. 54 के अनुसार अदत्त विक्रेता को निम्नलिखित दशाओं में माल के पुनः विक्रय का अधिकार प्रदान करती है —

(a) जब माल नाशवान प्रकृति का हो।

(b) जब क्रेता द्वारा भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में संविदा की शर्तों के अनुसार विक्रेता को माल के पुनर्विक्रय का अधिकार प्राप्त हो। या

Scanned with CamSc

(c) जब विक्रेता ने माल का पुनः विक्रय करने के अपने इरादे की सूचना क्रेता को दे दी हो और क्रेता ने उचित समय के भीतर विक्रेता को माल के मूल्य का भुगतान या भुगतान करने का प्रस्ताव न किया हो, या

(d) पुनः विक्रय अदत्त विक्रेता की स्वेच्छा पर हो तो ऐसे माल का क्रेता अदत्त विक्रेता की माल के विक्रय के विरुद्ध नहीं कर सकता है.

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि पुनः विक्रय के बाद मूल विक्रय अनुबंध निरस्त हो जाता है —

B. क्रेता के विरुद्ध अधिकार —

अदत्त विक्रेता को माल के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों के अतिरिक्त स्वयं क्रेता के विरुद्ध कार्यवाई करने के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं —

(a) मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत करना (Sec. 55)
(b) क्षति के लिए वाद प्रस्तुत करना (Sec. 56)
(c) ब्याज के लिए वाद प्रस्तुत करना (Sec. 61) तथा
(d) अनुबंध को निरस्त करना।

———॥———

Scanned with CamSc